

श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय तहसील मनगवा जिला रीवा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक **47/a6/2023-24/अ-6/2023-24**

सुशीला केवट
फूल

प्रार्थी क्रेता

बनाम
शालिकराम
निवासी -फूल

विपक्षी विक्रेता

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 109-110 म.प्र. भूराजस्व संहिता 1959

माननीय महोदय,

सेवा में निवेदन है कि प्रार्थी ने विपक्षी से निम्न वर्णित भूमि को बजरीय विक्रय पत्र क्रमांक **mp475675** दिनांक **03-10-2023** के क्रय की है जिसकी प्रतिलिपी संलग्न है।

सर्वे नम्बर **642/1** कुल सर्वे नम्बर **1** कुल रकबा **0.258** गांव का नाम **फूल** जहां भूमि स्थित है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त भूमि पर प्रार्थी का नामांतरण किया जावे।

दिनांक -

हस्ताक्षर प्रार्थी

फार्म अ
(परिपत्र दो-1 की कण्डिका 6 देखिये)
राजस्व आदेश - पत्र (रेवेन्यू ऑर्डर शीट)

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील मनगवा के न्यायालय में मामला क्रमांक
47/a6/2023-24/अ-6/2023-24 विषय विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण बाबत प्रकरण की श्रेणी जॉच
प्रतिवेदन ग्राम फूल बंदोबस्त क्रमांक पटवारी हल्का क्रमांक 21 रीवा कलेक्टर का प्रकरण क्रमांक सन 20 - 20
तहसीलदार का प्रकरण क्रमांक.....सन 200 -200 नायब तहसीलदार का प्रकरण क्रमांक
47/a6/2023-24 सन 20 -20

आदेश क्रमांक कार्यवाही की तारीख और स्थान (1)	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आवेदन पत्र अथवा कार्यवाही (2)	जहा आवश्यक हो पर्ची अथवा वकीलों के हस्ताक्षर,आदेशों के पालन करवाकर लिपिक के संक्षिप्त हस्ताक्षर और प्रकरण की तारीख (3)
___/___/2023	<p>आवेदक सुशीला केवट निवासी फूल द्वारा म.प्र.भू.रा.स.1959 की धारा 109,110 के तहत ग्राम फूल स्थित भूमि सर्वे नम्बर 642/1 कुल सर्वे नम्बर 1 कुल रकबा 0.258 पर विक्रेता शालिकराम निवासी फूल के स्थान पर हकत्याग विलेख क्रमांक mp475675 दिनांक के आधार पर नामांतरण किया जाने का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया ।</p> <p>- प्रकरण दर्ज हो । - विज्ञप्ति जारी हो । - पटवारी से प्रतिवेदन लिया जावे । - हितबद्ध पक्षकार तलब हो । पेशी दिनांक / /2023</p> <p style="text-align: right;">नायब तहसीलदार</p>	<p>SL-</p> <p>Date- / /2023 विज्ञप्ति,पटवारी लेटर एवं नोटिस</p>

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील मनगवा जिला रीवा (म.प्र.)

क्रमांक /री-1/2023

तहसील मनगवा, दिनांक / /2023

प्रति,

SL -

पटवारी

ग्राम- फूल

Date- / /2023

विषय :- नामांतरण प्रकरण में पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत ।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आवेदक क्रेता सुशीला केवट निवासी फूल द्वारा म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 109,110 के तहत ग्राम फूल स्थित भूमि सर्वे नम्बर 642/1 कुल सर्वे नम्बर 1 कुल रकबा 0.258 पर विक्रेता शालिकराम निवासी- के स्थान पर विक्रय पत्र क्रमांक mp475675 के आधार पर नामांतरण किया जाने का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया ।

प्रकरण क्रमांक **47/a6/2023-24/अ-6/2023-24** न्यायालय में प्रचलित है । अतः उक्त भूमि के संबंध में निम्न बिन्दुओं पर आप अपनी रिपोर्ट प्रकरण में नियत पेशी दिनांक / /2023 के पूर्व अनिवार्यतः प्रस्तुत करें ।

1. राजस्व रिकार्ड अनुसार भू-दान की भूमि है अथवा नहीं ?
2. राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि वर्तमान में किसके नाम से दर्ज है ?
3. राजस्व रिकार्ड अनुसार पट्टे की भूमि है अथवा नहीं ?
4. म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (6) व (7) के उपबंधों के अधीन प्रतिबंधित तो नहीं है ?
5. वर्तमान में भूमि पर कब्जा किसका है ?
6. मौके पर भूमि सिंचित है या असिंचित । राजस्व रिकार्ड में भूमि सिंचित है अथवा असिंचित है ?
7. कृषि के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन में तो उपयोग नहीं हो रहा है ? आवासीय अथवा व्यावसायिक ?
8. कोई न्यायालयीन रोक, बाधा, अथवा किसी की आपत्ति है या नहीं ?
9. नामांतरण किये जाने की अनुसंशा है अथवा नहीं ?

उक्त रिपोर्ट प्रकरण में नियत पेशी दिनांक / /2023 के पूर्व अनिवार्यतः प्रस्तुत की जावें । नियत पेशी दिनांक तक प्रकरण में आपकी रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर उक्त नामांतरण प्रकरण में आपकी अनुसंशा मानी जाकर एक तरफा कार्यवाही कर दी जावेगी । एक तरफा कार्यवाही किये जाने के बाद प्रकरण में आपत्ति/विवाद होने पर समस्त उत्तरदायित्व आपका माना जावेगा । अतः समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जावे ।

नायब तहसीलदार
तहसील मनगवा

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील - मनगवा, जिला रीवा (म.प्र.)
(मामले वाद धारा 109, 110 म.प्र.भू राजस्व संहिता नामांतरण)

SL-

प्रकरण क्रमांक 47/a6/2023-24/अ-6/2023-24

Date- / /2023

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम फूल स्थित भूमि सर्वे नम्बर 642/1 कुल सर्वे नम्बर 1 कुल रकबा 0.258 पर क्रेता सुशीला केवट, निवासी फूल द्वारा प्रस्तुत कर विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता शालिकराम, निवासी के स्थान पर नामांतरण हेतु इस न्यायालय में कार्यवाही प्रचलित है।

अतएव जिस किसी को आपत्ति हो विज्ञप्ति चस्पा होने के दिन से 15 दिनों के अंदर अपनी आपत्ति पटवारी ग्राम फूल अथवा न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील मनगवा में प्रस्तुत करें। अवधि गुजरने के बाद को किसी की आपत्ति मान्य नहीं होगी।

आज दिनांक / /2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

नायब तहसीलदार
तहसील मनगवा

प्रतिलिपि :-

1. एक प्रति तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा की जावे।
2. एक प्रति ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा की जावे।
3. एक प्रति बाद निर्वाहन वापस हो।

नायब तहसीलदार
तहसील मनगवा

राजस्व मामले में नोटिस

समक्ष नायब तहसीलदार स्थान मनगवा मामले
के विषय नामांतरण मामला
प्रकरण क्रमांक 47/a6/2023-24/अ-6/2023-24
श्री/श्रीमती आवेदक सुशीला केवट निवासी फूल

SL-

Date- / /2023

विरुद्ध

दावा

श्री/श्रीमती शालिकराम निवासी - फूल आपको सूचित किया जाता है कि उपयुक्त मामले की सूनावाई दिनांक / /2023 को दिन में दोपहर 02:00 बजे न्यायालय नायब तहसीलदार मनगवा पर होगी।

तारीख / /2023

मुद्रा

रीडर टू नायब तहसीलदार
तहसील मनगवा

प्रष्टाकन क्रमांक 01

बुलाये गये व्यक्ति के हस्ताक्षर

प्रष्टाकन क्रमांक 02

तामिल करने संबंधी प्रष्टाकन

तारीख माह..... सन 2023 को बजे मेरे बाद तामिल किया गया।

तामिल करने वाले के हस्ताक्षर

नोट - पक्षकार मास्क लगा कर एवं पुकार लगाने पर ही न्यायालय में उपस्थित हो।

राजस्व मामले में नोटिस

समक्ष नायब तहसीलदार स्थान मनगवा मामले
के विषय नामांतरण मामला
प्रकरण क्रमांक 47/a6/2023-24/अ-6/2023-24
श्री/श्रीमती आवेदक सुशीला केवट निवासी फूल

SL-

Date- / /2023

विरुद्ध

दावा

श्री/श्रीमती शालिकराम निवासी - फूल आपको सूचित किया जाता है कि उपयुक्त मामले की सूनावाई दिनांक / /2023 को दिन में दोपहर 02:00 बजे न्यायालय नायब तहसीलदार मनगवा पर होगी।

तारीख / /2023

मुद्रा

रीडर टू नायब तहसीलदार
तहसील मनगवा

प्रष्टाकन क्रमांक 01

बुलाये गये व्यक्ति के हस्ताक्षर

प्रष्टाकन क्रमांक 02

तामिल करने संबंधी प्रष्टाकन

तारीख माह..... सन 2023 को बजे मेरे बाद तामिल किया गया।

तामिल करने वाले के हस्ताक्षर

नोट - पक्षकार मास्क लगा कर एवं पुकार लगाने पर ही न्यायालय में उपस्थित हो ।

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील - मनगवा, जिला रीवा (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक 47/a6/2023-24/अ-6/2023-24

दिनांक - / /2023

क्रेता के कथन

नाम पिता/पति का नाम व जाति - सुशीला केवट
उम्र -
व्यवसाय -
निवासी - फूल

मैं शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा विक्रेता शालिकराम, तहसील-मनगवा, जिला -रीवा से ग्राम फूल तहसील रीवा स्थित भूमि सर्वे नम्बर 642/1 कुल सर्वे नम्बर 1 कुल रकबा 0.258 विक्रय मूल्य रुपये..... मे क्रय की है। उक्त भूमि विक्रय मुल्य मेरे द्वारा विक्रेता को अदा कर दिया है। आवेदित भूमि पर विक्रेता के स्थान पर मेरा नामांतरण किया जावे।
बयान पढ़ा सुना व सही होने से स्वीकार किया गया

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील - मनगवा, जिला रीवा (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक 47/a6/2023-24/अ-6/2023-24

दिनांक - / /2023

विक्रेता के कथन

नाम पिता/पति का नाम व जाति - शालिकराम
उम्र -
व्यवसाय -
निवासी - फूल

मैं शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा क्रेता सुशीला केवट निवासी फूल से ग्राम क्रेता सुशीला केवट निवासी फूल तहसील मनगवा स्थित भूमि सर्वे नम्बर 642/1 कुल सर्वे नम्बर 1 कुल रकबा 0.258 विक्रय मूल्य रुपये मे विक्रय की है। उक्त भूमि विक्रय मुल्य मेरे द्वारा क्रेता से प्राप्त कर लिया है। आवेदित भूमि पर मेरे स्थान पर क्रेता का नामांतरण किया जावे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

बयान पढ़ा सुना व सही होने से स्वीकार किया गया

नायब तहसीलदार
तहसील मनगवा

कार्यालय पटवारी हल्का नम्बर 21 ग्राम फूल तहसील मनगवा जिला रीवा (म.प्र.)

प्रति,

श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय,

तहसील मनगवा जिला - रीवा (म.प्र.)

विषय :- नामांतरण प्रकरण में रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत ।

संदर्भ :- न्यायालय के प्रकरण क्रमांक **47/a6/2023-24** /अ-6/2023-24 दिनांक / /2023 के पालन में ।

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि आवेदक सुशीला केवट निवासी फूल द्वारा ग्राम फूल स्थित भूमि सर्वे नम्बर 642/1 हेक्टर पर नामांतरण किये जाने हेतु जाँच प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

क्र.	जाँच के बिन्दु	
1	राजस्व रिकार्ड अनुसार भू-दान की भूमि है अथवा नहीं ?	
2	राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि वर्तमान में किसके नाम से दर्ज है ?	
3	राजस्व रिकार्ड अनुसार पट्टे की भूमि है अथवा नहीं ?	
4	म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) व (7) के उपबंधों के अधीन प्रतिबंधित तो नहीं है ?	
5	वर्तमान में भूमि पर कब्जा किसका है ?	
6	मौके पर भूमि सिंचित है या अंसिंचित । राजस्व रिकार्ड में भूमि सिंचित है अथवा अंसिंचित है ?	
7	कृषि के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन में तो उपयोग नहीं हो रहा है ? आवासीय अथवा व्यावसायिक ?	
8	कोई न्यायालयीन रोक, बाधा अथवा किसी की आपत्ति का उल्लेख तो नहीं है ?	
9	उक्त भूमि पर बैंक बंधक है या नहीं	
10	नामान्तरण किये जाने कि अनुसंशा है अथवा नहीं ?	

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील मनगवा, जिला - रीवा (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक - 47/a6/2023-24/अ-6/2023-24

सुशीला केवट,
निवासी - फूल(म.प्र.)
(क्रेता).....आवेदक
विरूद्ध
शालिकराम
निवासी - फूल (म.प्र.)
(विक्रेता).....अनावेदक

//आदेश//

पारित दिनांक - ____/____/2023

(मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 109-110 के तहत नामान्तरण संबंधी)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक (क्रेता) सुशीला केवट, निवासी- फूल (म.प्र.) के द्वारा भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 109,110 के तहत विक्रेता शालिकराम निवासी - फूल (म.प्र.) के स्थान पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक mp475675 दिनांक 03-10-2023 के आधार पर ग्राम - फूल तहसील - मनगवा में स्थित भूमि सर्वे नम्बर 642/1 कुल सर्वे नम्बर 1 कुल रकबा 0.258 पर नामान्तरण किये जाने का निवेदन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर किया गया । आवेदक ने आवेदन के समर्थन में खसरा बी- 1 रजिस्टर्ड दानपत्र, विक्रेता का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया ।

प्रकरण में विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया । समयावधि उपरांत आज दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई । प्रकरण में मौजा पटवारी फूल से प्रतिवेदन लिया गया जिसमें पटवारी द्वारा बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई जो निम्नानुसार है - 1. राजस्व रिकार्ड अनुसार भू-दान की भूमि नहीं है 2. राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि वर्तमान में विक्रेता के नाम से दर्ज है 3. राजस्व रिकार्ड अनुसार पट्टे की भूमि नहीं है 4. म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) व (7) के उपबंधों के अधीन प्रतिबंधित नहीं है 5. कब्जे संबंधी विवरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में उल्लेखित है 6. मोक़े पर भूमि सिंचित हैं । 7. कृषि के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन में उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा है । 8. कोई न्यायालयीन रोक, बाधा अथवा किसी की आपत्ति का उल्लेख नहीं है 9. उक्त भूमि बैंक में बंधक दर्ज नहीं है । राजस्व रिकार्ड में विक्रेता का नाम आवेदित भूमि पर दर्ज होना बताया व रिकार्ड अनुसार नामान्तरण किये जाने में सहमति व्यक्त की गयी ।

मेरे द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण का अवलोकन अध्ययन व परीक्षण किया गया जिसमें आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, विक्रेता का शपथ पत्र, पटवारी मौजा प्रस्तुत प्रतिवेदन से सहमत होते हुए आवेदक सुशीला केवट निवासी - ग्राम फूल (म.प्र.) द्वारा भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 109,110 के तहत प्रस्तुत आवेदन स्वीकार करते हुए, ग्राम फूल तहसील मनगवा स्थित भूमि सर्वे नम्बर 642/1 कुल सर्वे नम्बर 1 कुल रकबा 0.258 पर विक्रेता शालिकराम, निवासी - ग्राम फूल (म.प्र.) के स्थान पर आवेदक (क्रेता) सुशीला केवट, निवासी - ग्राम फूल (म.प्र.) का नामान्तरण स्वीकृत किया जाता है । मौजा पटवारी को पृथक से आदेश जारी कर 07 दिवस में संशोधित खसरा प्रति मंगाई जाये । बाद पूर्णता प्रकरण समाप्त होकर दायर रिकार्ड दाखिल हो ।

आदेश आज दिनांक ____ / ____ /2023 को मेरे बोलने पर टंकन
किया गया व मेरे हस्ताक्षर व न्यायालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया ।

नायब तहसीलदार
तहसील - मनगवा

क्रमांक /री-1/2023

तहसील मनगवा, दिनांक / /2023

प्रतिलिपि,

पटवारी मोजा फूल तहसील मनगवा आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल कर पालन प्रतिवेदन 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

नायब तहसीलदार
तहसील - मनगवा